

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या-1/2012-13

दिनांक : 05.06.2012

आयोग के विज्ञापन संख्या-2/2009-10 दिनांक 03.08.2009 एवं शुद्धि-पत्र संख्या 1/11-12 दिनांक 03.05.2011 की पद क्रम संख्या 48 पर सहायक आचार्य-रेडियो-थैरेपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद विज्ञापित किए गए थे जिनके सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि :-

(1) शासन द्वारा उक्त पदों की स्थिति में परिवर्तन किया है जोकि अब निम्न प्रकार है :-

पद क्रम संख्या	पद नाम/विषय	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्तजन LD&CP (OL)
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
48	सहायक आचार्य-रेडियो-थैरेपी	6	3	1	-	-	1	-	1	-	1

(2) निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान :-

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.L.- One leg affected (right or left)

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।

(द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

(3) विज्ञापन सं. 02/2009-10 विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु सं. 3 के उप बिन्दु (8) के पश्चात् उप बिन्दु संख्या (9) के रूप में यह पढ़ा जाए कि "राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट दी जाएगी:- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष; (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।"

नोट:-उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(4) **आवेदन प्रक्रिया:-** इस शुद्धि पत्र के तहत **On line Application Form** पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। निर्धारित शुल्क रुपये 40/- + परीक्षा शुल्क सेवा प्रदाता को जमा कराकर आयोग की वेबसाइट से स्वयं आवेदन भर सकता है। कृपया **आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या rpsconline.rajasthan.gov.in देखें।**

(5) **परीक्षा शुल्क :-** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें :-

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 350/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- रुपये 250/-

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु- रुपये 150/-

(6) **अन्तिम दिनांक -** उक्त पदों हेतु आवेदन करने की अन्तिम दिनांक **23-05-2011** से बढ़ाकर **अब दिनांक 30-06-2012** को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) कर दी गई है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन-लाइन आवेदन करें।

(7) उक्त पदों हेतु जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 02/2009-10 एवं शुद्धि-पत्र संख्या 1/11-12 दिनांक 03.05.2011 के तहत आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(8) इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.01.13 को आंकी जाएगी।

(9) अन्य शर्तें विज्ञापन संख्या-2/2009-10 दिनांक 03.08.09 एवं शुद्धि-पत्र सं. 1/11-12 दिनांक 03.05.11 के अनुसार यथावत रहेगी।

(10) **कृपया ध्यान दें :-** इन पदों का विस्तृत विज्ञापन (जिसमें आयु सम्बन्धी छूट आदि की सूचना दी गई है) आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या <http://www.rpsconline.rajasthan.gov.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु आयोग कार्यालय में विशेष रूप से बनाए गए काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 145-5151200 एवं 5151240 से सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ. के.के. पाठक)

सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 1/2011-12

दिनांक : 03-05-2011

आयोग के विज्ञापन संख्या-2/2009-10 दिनांक 03.08.09 के पद क्रम संख्या 35 से 49 पर तथा विज्ञापन संख्या-3/2010-11 दिनांक 26.11.2010 के पद क्रम संख्या 61, 62, 66, 67, 68, 70, 71 एवं 73 पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक के पद विज्ञापित किये गये थे, जिनके सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि :-

- शासन द्वारा उक्त पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के उपरान्त इन पदों की स्थिति अब निम्न प्रकार से हो गयी है :-

विज्ञापन संख्या-2/2009-10 दिनांक 03.08.09 के पद क्रम संख्या 35 से 49 के पदों की स्थिति:-

पद क्रम संख्या	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्त जन LD & CP (O.L.)
					अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
35	सहायक आचार्य कार्डियोलोजी	19	10	3	2	-	1	-	3	-	-
36	नेफ्रोलोजी	8	5	1	1	-	-	-	1	-	-
37	न्यूरोलोजी	11	6	2	1*	-	1	-	1	-	-
38	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
39	कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी	17	9	3	2*	-	1*	-	2	-	-
40	मेडिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	6	3	1	1	-	-	-	1	-	-
41	पैथोलोजी	9	4	2	1	-	1	-	1	-	-
42	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम)	8	5	1	1	-	-	-	1	-	-
43	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	39	19	8	3*	1	3*	-	4	1	2
44	पेडियाट्रिक्स (शिशु औषध)	30	15	6	2	-	2	-	4	1	1
45	ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पाइरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन (वक्ष एवं क्षय रोग)	4	3	-	-	-	1*	-	-	-	-
46	डर्माटोलोजी, वेनेरोलोजी एण्ड लेप्रोसी (चर्म, रति एवं कुष्ठ रोग)	7	4	1	1	-	-	-	1	-	-
47	रेडियो-डायग्नोसिस	29	13	5	3	1	2	-	4	1	1
48	रेडियो-थैरेपी	6	3	1	-	-	1	-	1	-	-
49	वरिष्ठ प्रदर्शक-फॉरेसिक मेडिसिन	8	4	1	1	-	1	-	1	-	-

नोट:-*राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद बैकलॉग के पद हैं। सहायक आचार्य-कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी के पदों में से अनुसूचित जाति का एक पद तथा आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजी के पदों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्रमशः दो-दो पद बैकलॉग के पद हैं।

विज्ञापन संख्या-3/2010-11 दिनांक 26.11.2010 के पद क्रम संख्या 61, 62, 66, 67, 68, 70, 71 एवं 73 के पदों की स्थिति:-

पद क्रम संख्या	पद नाम/विषय	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्तजन L.D. & C.P. (OL)
					अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
61	सहायक आचार्य :- न्यूरोसर्जरी	7	3	1	1	-	1	-	1	-	-
62	शिशु शल्य (पेडियाट्रिक सर्जरी)	8	4	1	1 बैक लॉग का पद	-	1	-	1	-	-
66	जनरल मेडिसिन	32	15	6	2	-	3	-	5	1	2
67	ऑर्थोपेडिक्स (अस्थिरोग)	19	12	4	-	-	-	-	3	-	-
68	निश्चेतन (एनेस्थेसियोलोजी)	31	14	5	3	1	2	-	5	1	2
70	ओटो-राईनो-लेरिंगोलोजी (नाक, कान व गला)	11	6	3	1	-	-	-	1	-	-
71	ऑर्थलमोलोजी (नेत्ररोग)	12	5	2	2	-	1	-	2	-	-
73	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-

विशेष नोट :- (1) O.M.R. Application Form में आवेदित पद की क्रम संख्या को अवश्य अंकित करें।

(2) O.M.R. Application Form के कॉलम संख्या 9 जोकि ऐच्छिक विषय से सम्बन्धित है, में "00" अंकित करें।

- आयोग के विज्ञापन संख्या-2/2009-10 दिनांक 03.08.09 के तहत आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 17-09-2009 तथा विज्ञापन संख्या-3/2010-11 दिनांक 26.11.2010 के तहत आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 31-12-2010 से बढ़ाकर अब अन्तिम दिनांक 23-05-2011 कर दी गई है। अतः आवेदकों के आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुँचने की

अन्तिम दिनांक 23-05-2011 को सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) पहुँच जाने चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. उक्त पदों हेतु जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 02/2009-10 एवं 3/2010-11 के तहत आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
4. इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.01.12 को आंकी जाएगी।
5. **परीक्षा तिथि:**—आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार/संवीक्षा परीक्षा माह मई-जून में आयोजित की जा सकती है। अभ्यर्थी तिथि व साक्षात्कार पत्र हेतु आयोग की प्रेस विज्ञापित के साथ आयोग की वेबसाइट भी देखते रहें।
6. विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित O.M.R. Application Form ही भरना चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ-साथ उन्हें पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आयोग द्वारा स्वतः ही मान लिया जाएगा।
7. विज्ञापन सं. 02/2009-10 एवं 03/2010-11 के विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु सं. 3 के उप बिन्दु (3) के प्रावधान के स्थान पर अब अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित पदों के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी:—
 - (3) ऊपर उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में :—
 - (क) जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित हैं उन विषयों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला आवेदकों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु पद आरक्षित नहीं होने पर उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
 - (ख) जिन विषयों में सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है परन्तु पद आरक्षित नहीं होने पर उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
 - (ग) जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी और जिन विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये पद आरक्षित नहीं है परन्तु जिन वर्गों के सामान्य पद आरक्षित हैं तो उन विषयों हेतु उन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छूट देय होगी।
 - (घ) जिन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिला के पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
8. विज्ञापन सं. 02/2009-10 विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु सं. 3 के उप बिन्दु (8) के पश्चात् उप बिन्दु संख्या (9) के रूप में यह पढ़ा जाए कि "राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट दी जाएगी:— (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष; (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।"

नोट:—उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
9. विज्ञापन की अन्य शर्तें विज्ञापन संख्या-02/2009-10 एवं 03/2010-11 के अनुसार यथावत होगी।
10. **परीक्षा शुल्क** :— आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित **O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** का मूल्य मय परीक्षा शुल्क इस प्रकार से लिया जावेगा :—(क) सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 300/— (ख) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 200/— (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु रुपये 100/—।
11. **आवेदन कैसे करें** :—
 - (1) आवेदक **राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के कॉन्ट्र/स्वागतकक्ष से दिनांक 05-05-2011** से आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित O.M.R. Application Form नकद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते हैं।

आयोग की वेबसाइट:—उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ.के.के. पाठक)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 2/2009-10

विज्ञापन संख्या :- 2/संयुक्त विज्ञापन/भर्ती/2009-10

दिनांक : 03.08.2009

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक के पदों की राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रान्च) नियम, 1962 के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** पर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद स्थाई/अस्थाई - स्थाई होने की संभावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार से है :-

पद क्रम सं.	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)					
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति	
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
35	सहायक आचार्य कार्डियोलोजी	3	2	-	1	-	-	-	-	-
36	नेफ्रोलोजी	3	2	-	-	-	-	-	1	-
37	न्यूरोलोजी	2	1	-	1*	-	-	-	-	-
38	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी	1	1	-	-	-	-	-	-	-
39	कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी	4	1	-	1*	-	1*	-	1	-
40	मेडिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	1	1	-	-	-	-	-	-	-
41	पैथोलोजी	2	2	-	-	-	-	-	-	-
42	कम्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
43	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	7	3	-	2*	-	2*	-	-	-
44	पेडियाट्रिक्स (शिशु औषध)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
45	ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पाइरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन (वक्ष एवं क्षय रोग)	1	-	-	-	-	1*	-	-	-
46	डर्माटोलोजी, वेनेरोलोजी एण्ड लेप्रोसी (चर्म, रति एवं कुष्ठ रोग)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
47	रेडियो-डायग्नोसिस	8	3	1	2	-	1	-	1	-
48	रेडियो-थैरेपी	2	1	-	-	-	1	-	-	-
49	वरिष्ठ प्रदर्शक फोरेंसिक मेडिसिन	1	1	-	-	-	-	-	-	-

विशेष नोट :- O.M.R. Application Form के कॉलम संख्या 11 में आवेदित पद की क्रम संख्या अवश्य अंकित करें। पद की क्रम संख्या गलत भरने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा O.M.R. Application Form में भरे गये पद की क्रम संख्या के विषय में प्रवेश दिया जायेगा और इस कॉलम को रिक्त छोड़ दिये जाने की स्थिति में उसकी O.M.R. Application Form रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

नोट:-(1) * राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पद बैकलॉग के पद हैं।

(2) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/वर्तमान के आरक्षित पदों जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(3) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

(4) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

- (5) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।
- (6) आवेदक को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र भेजना आवश्यक है।

2. शैक्षणिक योग्यता :-

समस्त पदों हेतु आवश्यक योग्यताएँ एवं अनुभव/योग्यता :-

पद क्रम संख्या 35 के लिए योग्यताएँ :- (i) डी.एम. (कार्डियोलोजी) ।

पद क्रम संख्या 36 के लिए योग्यताएँ :- (i) डी.एम. (नेफ्रोलोजी) ।

पद क्रम संख्या 37 के लिए योग्यताएँ :- (i) डी.एम. (न्यूरोलोजी) ।

पद क्रम संख्या 35 से 37 तक के पदों के लिए द्वितीय योग्यता एवं अनुभव:-

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता(रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सबजेक्ट)।

(iii) **अनुभव:-**मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिप्लोमेट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षीय डी.एम. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा ।

पद क्रम संख्या 38 के लिए योग्यताएँ :-

(i) एम.सीएच. (प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी)/एम.सीएच. (प्लास्टिक सर्जरी) ।

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सबजेक्ट)।

(iii) **अनुभव :-**मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी/प्लास्टिक सर्जरी में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिप्लोमेट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षीय एम.सीएच. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा ।

पद क्रम संख्या 39 के लिए योग्यताएँ :-

(i) एम.सीएच.(कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी)/एम.सीएच.(कार्डिएक सर्जरी)/एम.सीएच. (वस्कूलर सर्जरी)/एम.सीएच. (थोरेसिक सर्जरी) ।

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता(रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सबजेक्ट)।

(iii) **अनुभव :-** मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी/ कार्डिएक सर्जरी/वस्कूलर सर्जरी/थोरेसिक सर्जरी में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिप्लोमेट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षीय एम.सीएच. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा ।

पद क्रम संख्या 40 के लिए योग्यताएँ :-

(i) डी.एम. (मेडिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी)/डी.एम. (गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पेडियाट्रिक्स) साथ गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण ।

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता में योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड स्पेशियेलाइजेशन क्वालिफिकेशन इन दी सबजेक्ट)।

(iii) **अनुभव:-**मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में मेडिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी में रेजीडेन्ट/ रजिस्ट्रार/ डिप्लोमेट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव परन्तु जिन्होंने दो वर्षीय डी.एम. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, के लिए अध्यापन अनुभव दो वर्ष का होगा ।

पद क्रम संख्या 41 के लिए योग्यताएँ:- (i) एम.डी. (पैथोलोजी)/पीएच.डी. (पैथोलोजी)/डी.एससी. (पैथोलोजी) ।

पद क्रम संख्या 42 के लिए योग्यताएँ:- (i) एम.डी.(सोशियल एण्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन)/एम.डी.(कम्यूनिटी मेडिसिन)

पद क्रम संख्या 43 के लिए योग्यताएँ:- (i) एम.डी.(आब्स. एण्ड गायने.)/एम.एस.(आब्स. एण्ड गायने.) ।

पद क्रम संख्या 44 के लिए योग्यताएँ:- (i) एम.डी.(पेडियाट्रिक्स) ।

पद क्रम संख्या 45 के लिए योग्यताएँ:- (i) एम.डी.(ट्यूबरक्यूलोसिस)/एम.एस.(टी.बी. एण्ड रेस्पाइरेटरी डिजीजेज)/एम.डी.(मेडिसिन) साथ टी.डी.डी.टी.डी. या डी.टी.सी.डी./एम.डी.(टी.बी. एण्ड चेस्ट डिजीजेज) ।

पद क्रम संख्या 46 के लिए योग्यताएँ:- (i) एम.डी. (डर्म. एण्ड वेन.)/एम.डी. (डर्म. वेन. एण्ड लेप्रोसी)/एम.डी. (डर्माटोलोजी)/एम.डी. (डर्म. इन्कलूडिंग वेन.)/एम.डी. (डर्म. इन्कलूडिंग वेन./लेप.)/एम.डी. (मेडिसिन) साथ डी.वी.डी. या डी.डी. ।

पद क्रम संख्या 47 के लिए योग्यताएँ:-(i) एम.डी.(रेडियो-डायग्नोसिस)/एम.डी.(रेडियोलोजी)/एम.एस. (रेडियोलोजी)

पद क्रम संख्या 48 के लिए योग्यताएँ:-(i) एम.डी.(रेडियो-थैरेपी)/एम.डी.(रेडियोलोजी)/एम.एस.(रेडियोलोजी) ।

पद क्रम संख्या 41 से 48 तक के पदों हेतु द्वितीय योग्यता एवं अनुभव :-

(ii) सम्बन्धित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता (रिक्विजिट रिकोग्नाईज्ड पोस्टग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन दी सबजेक्ट)।

(iii) **अनुभव :-**मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिप्लोमेट/ट्यूटर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

पद क्रम संख्या 35 से 48 तक के पदों की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोट :-

आवेदकों को सम्बन्धित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्य अपेक्षित स्नातकोत्तर/ विशेषज्ञता में योग्यताएँ अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएँ प्राप्त होनी चाहिये । अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिये ।

पद क्रम संख्या 49 के लिए योग्यता:- एम.बी.बी.एस.।

पद क्रम संख्या 49 के पद की योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक नोट:- अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिये।

समस्त पदों की योग्यताओं के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा कि :-

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।"

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे आवेदक **O.M.R. Application Form** के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन के कॉलम में दर्शाये "App." गोले की पूर्ति करें अन्यथा आवेदक का **O.M.R. Application Form** प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

3. आयु :-दिनांक 01-01-2010 को 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए सिवाय डी.एम./एम.सीएच न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी लेकिन ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में :-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

स्पष्टीकरण :

(1) आयोग द्वारा वर्ष 1996 में **सहायक आचार्य-कम्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम)** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.1997 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) आयोग द्वारा वर्ष 2002 में **सहायक आचार्य- पेडियाट्रिक्स (शिशु औषध)** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2003 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(3) आयोग द्वारा वर्ष 2003 में **सहायक आचार्य- ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पाइरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन (वक्ष एवं क्षय रोग)** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2004 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(4) आयोग द्वारा वर्ष 2004 में **सहायक आचार्य - मेडिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2005 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(5) आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 में **सहायक आचार्य-कार्डियोलोजी** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2007 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का वर्ष 2007 एवं 2008 में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष तक की ही छूट देय होगी।

(6) आयोग द्वारा वर्ष 2006-07 में **सहायक आचार्य - नेफ्रोलोजी** के पद विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2008 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का वर्ष 2008 में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष तक की ही छूट देय होगी।

(7) **शेष सभी विषयों के पद आयोग द्वारा वर्ष 2005 में विज्ञापित** किये गये थे जिनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2006 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2010 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

2. राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है।

3. ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में आरक्षित पदों के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी:-

(I) **सहायक आचार्य-कार्डियोलोजी एवं न्यूरोलोजी के पदों के लिए :-** राजस्थान की अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(II) **सहायक आचार्य- ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पाइरेटरी मेडिसिन/पल्मनरी मेडिसिन एवं रेडियो थैरेपी के पदों के लिए:-** राजस्थान की अनुसूचित जन जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(III) **सहायक आचार्य-नेफ्रोलोजी के पदों के लिए:-** राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(IV) **सहायक आचार्य-कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी के पदों के लिए :-**राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (V) सहायक आचार्य— आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पदों के लिए— राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (VI) सहायक आचार्य— रेडियो—डायग्नोसिस के पदों के लिए—सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
5. कैंडिडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिये न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सी.एच. अपेक्षित है, के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
7. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
8. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट:— उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 8 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान :-(1) पद क्रम संख्या 35 से 48 तक के लिये :- रनिंग पे बेण्ड-3 (15600-39100) ग्रेड पे सं.17 (रू. 6600/-) (2) पद क्रम संख्या 49 के लिये :- रनिंग पे बेण्ड-3 (15600-39100) ग्रेड पे सं.15 (रू.400/-)

“ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं।

कार्य : शिक्षण एवं चिकित्सकीय कार्य। **परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान राज्य के किसी भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में।

पेंशन :- दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. **आवेदन-पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक:-** आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक **17.09.2009 (17 सितम्बर, 2009)** सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

प्रेषण : O.M.R.Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें। एक लिफाफे में एक ही **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भेजा जावे। एक लिफाफे में एक से अधिक **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** को प्रथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें। आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन-पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन-पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात् पहुंचने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।

5. **संवीक्षा परीक्षा का स्थान एवं योजना :-**

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा अजमेर (कोड सं.-1) में आयोजित कराये जाने की सम्भावना है। अतः आवेदक अजमेर जिले का कोड नम्बर O.M.R. Application Form के कॉलम सं0 8 में भरे। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।

आयोग के विवेकानुसार इन पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) या वर्णनात्मक (Descriptive Type) प्रकार की हो सकती है।

6. **आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क :-**

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R.Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य मय परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा :-

- (क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 300/- (परीक्षा शुल्क रूपये 200/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/-)
- (ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 200/- (परीक्षा शुल्क रूपये 100/- +O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/-)
- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको हेतु रूपये 100/- (इन वर्गों के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/-लिया जा रहा है ।)

नोट :-

- (1) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा । ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।
- (2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के(क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

7. **आवेदन कैसे करें :-**

1. आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के काँउन्टर/स्वागतकक्ष से दिनांक 07.08.2009 से आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित **O.M.R. Application Form** एवं विस्तृत आवेदन-पत्र नकद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते हैं ।
2. आवेदन-पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन-पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें। आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन-पत्र क्रय कर आवेदन करें। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के **O.M.R.Application Form** एवं विस्तृत आवेदन-पत्र भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे **O.M.R. Application Form** एवं विस्तृत आवेदन-पत्र को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।
3. यदि आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से डाक के माध्यम से निर्धारित आवेदन-पत्र मंगवाना चाहता है तो आवेदन-पत्र प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व अपने वर्गानुसार मांग पत्र मय भारतीय पोस्टल आर्डर्स निम्नानुसार भेजकर मंगवाये जा सकते हैं :-

- (क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 350/- (परीक्षा शुल्क रूपये 200/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/-+ डाक व्यय रूपये 50/-)
- (ख) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 250/- (परीक्षा शुल्क रूपये 100/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/- + डाक व्यय रूपये 50/-)
- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको हेतु रूपये 150/- (इन वर्गों के आवेदक परीक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/- +विस्तृत आवेदन-पत्र का मूल्य रूपये 50/- + डाक व्यय रूपये 50/- लिया जा रहा है।)

नोट :- राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

8. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :-** सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकरणों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये । यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

9. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-**

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथासमय वांछनीय होगा।
5. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (**Debar**) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (**Debar**) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
10. **अनुचित साधनों की रोकथाम :-** परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "**Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination**" अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।
11. **श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा :-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।
12. **कृपया ध्यान दें :-**
 - i. लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें।
 - ii आवेदक को **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** दोनों ही भरकर आयोग कार्यालय को भेजना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा इन दोनों में से कोई एक सामग्री यथा-**O.M.R. Application Form** या **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरकर भेजा जाता है तो ऐसे आवेदक के प्रार्थना-पत्र को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
 - iii यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरकर भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों के सभी **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** प्रथम दृष्टया अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - iv आवेदक श्रेणीवार तय किये गये **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन-पत्र खरीद कर ही आवेदन करें। गलत श्रेणी का आवेदन-पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 - v आवेदक **O.M.R. Application Form** के → कॉलम व **O** गोले भरने हेतु **केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें**।
 - vi आवेदक आयोग को आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स → में की गई प्रविष्टियाँ एवं नीचे भरे गये गोले **O** एक समान हैं। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोले में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। अधूरा भरा **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
 - vii **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनार्यें संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हस्तारयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 - viii आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन, **O.M.R. Application Form** एवं **विस्तृत आवेदन-पत्र** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि **O.M.R. Application Form** में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढ़ी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थायी (Provisional) प्रवेश दिया जावेगा।
 - ix **O.M.R. Application Form** को भरने के निर्देश के बिन्दु सं. 6 में वर्णित जिलों के अंकित कोड संख्याओं के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रतापगढ़ को नवीन जिला घोषित किया गया है जिसका आयोग द्वारा फिलहाल कोड सं. 33 आंशित किया गया है। अतः ऐसा आवेदक जो प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत आता है वह **O.M.R. Application Form** के कॉलम सं. 7 में जिले का कोड सं. 33 अंकित करें।

- x आयोग कार्यालय द्वारा **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा।
- xi विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- xii **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** के साथ अपने समस्त प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें ताकि पात्रता आँकते समय कोई कठिनाई ना हो।
13. **प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-** आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-
- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
- (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।
- (द) राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** पर आवेदन करना होगा।
- (य) अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये।

नोट :-आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (**Provisional**) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

आयोग की वेबसाइट:-

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष टिप्पणी :-

1. आवेदक को आयोग के परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है।
2. इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएँ आवेदकों को विस्तृत विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही है। अतः **O.M.R. Application Form एवं विस्तृत आवेदन-पत्र** के साथ आवेदकों को सूचना पत्रिका नहीं दी जावेगी।
3. आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305 026

(के.के. शर्मा)
सचिव